कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– मुंगेली (छ.ग.)

निविदा क्र./एन.एच.एम./एन.पी.सी.बी./2019–20 /96 मुंगेली दिनांक 10-10 /2019

जिला चिकित्सालय, मुंगेली के सुदृढ़ीकरण एवं नेत्रदान संग्रहण केन्द्र स्थापना हेतु सामग्री/उपकरण

निविदा के शर्ते एवं नियम

1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली के अधिनस्थ **जिला चिकित्सालय, मुंगेली, रामगढ़, जिला मुंगेली (छ.ग.) के सुदृढ़ीकरण एवं नेत्रदान संग्रहण केन्द्र स्थापना** हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री/उपकरण की खरीदी हेतु निर्माता/अधिकृत विक्रेताओं/पंजीकृत फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. सामग्री/उपकरण के लिए अधिकृत विक्रताओं को निर्माता कंपनी का अथॉरिटी लेटर मूल रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुंगेली के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3. निविदा कार्यालय मे दिनांक 14.11.2019 को दोपहर 03:00 बजे तक पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदा दिनांक 14.11.2019 को सायं 04:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जाएगीं। निविदादाता के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निर्धारित तिथी एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। विलंब के लिए यह कार्यालय जवाबदार नही रहेगा। निविदा को अलग–अलग सील बंद लिफाफे मे प्रस्तुत किया जावें। प्रथम लिफाफा समस्त निविदा सहपत्रो एवं द्वितीय लिफाफा प्राइज बिड का होना चाहिए। एक ही लिफाफे मे प्रस्तुत निविदा निरस्त कर दी जाएगी। सहपत्रों का चेक लिस्ट भी प्रस्तुत करें। प्रथम लिफाफा क्रय समिति द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ही द्वितीय लिफाफा प्राईज बीड खोला जावेगा।

4. निविदा प्रारूप एवं निविदा की शर्ते तथा सामग्री/उपकरण की सूची निविदा प्रारूप के साथ निविदा फर्म कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय के पास, रामगढ़, जिला मुंगेली (छ.ग.) से दिनांक 14.10.2019 से 13.11.2019 तक सायं 05:00 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में निविदा फार्म रू. 2,000/– (रू. दो हजार मात्र) के डिमांड ड्राफ्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक का District Health Society - Non NRHM - Other Fund a/c 32266834946 के नाम से बना हों एवं Drawee बैंक मुंगेली शाखा होना अनिवार्य हैं, देने पर प्राप्त किया जा सकता हैं। उक्त राशि किसी भी दशा मे वापसी योग्य नहीं हैं।

5. निविदा के साथ सामग्री/उपकरण के लिए धरोहर राशि रू. 1,23,000/– (रू. एक लाख तेईस हजार मात्र) का बैंक ड्राफट, राष्ट्रीयकृत बैंक का District Health Society - Non NRHM - Other Fund a/c 32266834946 के नाम से बना हों एवं Drawee बैंक मुंगेली शाखा का हों। सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर शेष को राशि वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा अवधि 01 वर्ष तक जमा रखा जावेगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

6. निविदा खुलने के समय निविदा फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं तो इसके लिए निविदाकर्ता फर्म का अथॉरिटी लेटर होना आवश्यक हैं।

7. सामग्री/उपकरण के लिए निर्माता कंपनी का WHOGMP/आई.एस.ओ/आई.एस.आई. एवं अन्य गुणवत्ता धारक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैं।

8. पिछले वित्तीय वर्षो 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 का वाणिज्यक कर अदा किया हैं एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं हैं इस आशय का वाणिज्यक कर समाशोधन प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आयकर रिर्टन वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

9. सामग्री/उपकरण इत्यादि की दर जिला चिकित्सालय, मुंगेली, रामगढ़, जिला मुंगेली (छ.ग.) में प्रदाय करने की होगी। ट्रांसपोर्ट व्यय (फ्रेड पेड) निविदाकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। इंन्सटालेशन, ट्रांसपोर्ट व्यय, लोडिंग–अनलोडिंग, एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन के लिए शामिल होगा।

10. सामग्री/उपकरण का दर कैटलॉग के साथ दिया जाना होगा। न्यूनतम दर पाये जाने के उपरांत नमूना कय समिति के अवलोकन हेतु मंगाया जा सकता है।

11. क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुए निरीक्षण की शर्तो पर स्वीकार की जावेगीं। सामग्री/उपकरण का चयन क्रय समिति के तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण कर किया जावेगा। तकनिकी विशेषज्ञों के परिक्षण में गुणवत्ता युक्त सामग्री/उपकरण न होने की स्थिति में क्रय शून्य किया जा सकेगा।

12. निविदादाता को अपने फर्म का पेन, टीन नम्बर/जी.एस.टी. की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं।

13. निविदा में मंगाई गई सामग्री/उपकरण में पोस्ट डीलिवरी इन्सपेक्शन रिपोर्ट अनिवार्य हैं। सामग्री/उपकरण की गारंटी/वारंटी अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावें। इस हेतु गारंटी/वारंटी सर्टिफिकेट भी प्रदाय किया जाना आवश्यक हैं। सामग्री/उपकरण का इंस्टालेशन कंपनी/डीलर के ऑथराईज इंजीनियर द्वारा किया जावेगा। इंस्टालेशन उपरांत रिपोर्ट प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा।

14. निविदा दर में सभी प्रकार के कर जैसे– (वैट टैक्स/केन्द्रीय कर/जी.एस.टी.) इत्यादि का उल्लेख पृथक से किया जाना अनिवार्य हैं। न्यूनतम दर का चयन सामग्री के कुल राशि (मूल्य+व्यय+कर) पर किया जावेगा। सफल निविदाकर्ता को सामग्री आपूर्ति के पश्चात् बिल में सामग्री राशि अलग से तथा देय कर की राशि अलग–अलग स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा जिससे की देय कर की राशि वाणिज्य कर विभाग के लेखा शीर्ष में जमा किया जावेगा तथा संबंधित फर्म द्वारा चालान मांग किए जाने पर चालान की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी। भुगतान हेतु निविदा कर्ता फर्म का ही देयक मान्य किया जावेगा।

15. न्यूनतम दर संलग्न सूची अनुक्रम मे ही पूर्तिकर एवं हस्ताक्षरकर लेटर पेड मे देना होगा। इस कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये सूची के कम अनुसार ही दर अंकित किया जावें अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

16. निविदा दर कम्प्युटर द्वारा मुद्रित होना चाहिए।

17. निविदादाता द्वारा नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्म का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।

18. निविदा में सामग्री/उपकरण की दर राज्य या केन्द्र शासन के द्वारा निर्धारित दर एवं अधिकतम खुदरा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए।

19. निविदा दर में सामग्री/उपकरण के मेक, माडल, कंपनी का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

20. निविदा दाता द्वारा फर्म/कंपनी का विगत 03 वित्तीय वर्ष का टर्नओव्हर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउटेंट द्वारा सर्टिफाइड कर प्रदाय करना होगा। फर्म/कंपनी का वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में प्रति वर्ष न्यूतम टर्नओव्हर रू. 50 लाख (रू. पचास लाख मात्र) होना अनिवार्य हैं।

21. सामग्री/उपकरण की प्रदायगी आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर प्रदाय करना होगा। विशेष कठिनाईयों मे संबंधित अधिकारी को सूचना देने पर अवधि बढ़ाई जा सकती हैं परंतु किसी भी परिस्थिति मे यह अवधि पांच सप्ताह से अधिक की नही होगी।

22. आदेशित सामग्री/उपकरण निर्धारित अवधि के अंदर आपूर्ति नहीं की जाती हैं तो 02 प्रतिशत पेनाल्टी चार्ज की जावेगीं।

23. व्यवस्थित पैकिंग तथा पहुँच तक की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होगी। टूट–फूट तथा ट्रांसपोर्ट के दौरान कमी आने की संपूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्ता की होंगी। विलंब से रसीद प्राप्त होने पर लगने वाले डेमरेज चार्ज/विलंब शुल्क प्रदायकर्ता के बिल से वसूल की जावेगी।

24. दर भारतीय मुद्रा मे ही स्वीकार की जावेगी। विदेशी मुद्रा की दर निरस्त कर दी जावेगी।

25. किसी भी निविदा को स्वीकार करना अथवा बिना किसी कारण सूचना के निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार गठित क्रय/चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

26. सामग्री/उपकरण का एक ही दर अंकित किया जावें। प्रदाय टेडर फार्म से अलग सामग्री/उपकरण का नाम जोडने पर निविदा दर स्वीकार नही किया जावेगा।

27. खुली निविदा में प्राप्त सामग्री/उपकरण के एकल दर को भी जिला क्रय समिति द्वारा मान्य किया जा सकता हैं।

28. निविदा की अवधि 31 मार्च 2020 अथवा वित्तीय वर्ष 2020–21 की आर.ओ.पी. की स्वीकृति तक के लिये मान्य होगीं, जिसे आगामी अवधि हेतु भी बढ़ाया जा सकेगा, अवधि बढ़ाये जाने पर दरों में केवल कर में होने वाले बदलाव को ही मान्य किया जावेगा।

29. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला मुंगेली होगा।

संलग्न : सामग्री/फर्नीचर/उपकरण की सूची।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–मुंगेली छ.ग.)

जिला चिकित्सालय, मुंगेली के सुदृढ़ीकरण एवं नेत्रदान संग्रहण केन्द्र स्थापना हेतु सामग्री/उपकरण

DH

SN	Name	Specification
1	Operating Microscope(Basic)	-
2	A-Scan Biometer	Wet
3	Keratometer	-
4	Slit Lamp, Refraction Units	-
5	Auto Refraction Units	+ Keratometer
6	Flash Autoclave	-
7	Streak Retinoscope	-
8	Tonometers(Schiotz)	Applanation
9	Direct Ophthalmoscope	-
10	Nd-Yag Laser	-
11	Applanation Tonometer	-
12	Non-mydriatic Fundus Camera	-
13	Gonioscope	4 Mirror
14	Surgical sets for Cataract,glaucoma and squint etc.	-
15	Microsurgical instuments	-
16	Vision Charts	Motorized
17	UPS/Invertors	1 KV
18	Generator	-
19	Phacoemulsifier	AMO
20	Indirect ophthalmoscope With 20 Lens	-
21	Air Conditioners	2 Ton

Vision Center

SN	Name	Specification
1	Refrigerator	Domestic
2	Encleation Set	-
3	Containers for corneal Sets	Glass Bowl
4	Corneal Sets	-
5	Autoclave available	-
6	Device and /or material for Health Education activities	-
7	Vehicle (Two wheeler)	-